क्रम संख्या–61

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 07 अप्रैल, 2016 ई0

चैत्र 18, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 129/XXXVI(3)/2016/14(1)/2016

देहरादून, 07 अप्रैल, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) विधेयक, 2016'** पर दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 13 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2016

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 13 वर्ष, 2016)

उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012 का अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस विधेयक का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) विधेयक, 2016 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

धारा 3 का संशोधन

2 उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी; अर्थात–

" **उपकर की दर और भुगतान–**

(1) किसी मार्ग या अवस्थापना का उपयोग करने के लिये किसी मोटरयान के सम्बन्ध में ऐसी दर पर, जैसी राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, उपकर अधिरोपित एवं वसूल किया जायेगा।

(2) किसी मार्ग अवस्थापना का उपयोग करने वाले मोटरयान का प्रभारी व्यक्ति 'बैरियर' पर तैनात निरीक्षक को उपकर का भुगतान करेगा और उससे रसीद लेगा, जो उसमें उल्लिखित धनराशि का भुगतान किये जाने का प्रमाण होगा।

(3) मोटरयान जिसने राज्य में किसी/बैरियर पर उपधारा(2) के अधीन उपकर का भुगतान कर दिया हो, को इस अधिनियम के अधीन स्थापित किसी अन्य बैरियर को, उसी दिन के भीतर जिसके लिये उपकर का भुगतान कर दिया गया है, पार करते समय पुनः उपकर का भुगतान करना अपेक्षित नहीं होगा।

(4) प्रत्येक मोटरयान से उत्तराखण्ड राज्य की सीमा पर स्थापित बैरियर पर प्रवेश के समय उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दर पर देय उपकर की वसूली की जायेगी।

परन्तु यह कि यदि कोई वाहन स्वामी, जिसे विभिन्न प्रयोजनों से बार–बार उत्तराखण्ड राज्य में प्रवेश करना

होता है, वह दैनिक दर के स्थान पर यथास्थिति उपधारा (5) एवं (6) में निर्दिष्ट तिमाही अथवा वार्षिक दर पर उपकर का भुगतान कर टोकन प्राप्त कर सकता है।

(5) तिमाही टोकन प्रतिवर्ष पहली जनवरी, पहली अप्रैल, पहली जुलाई और पहली अक्टूबर से प्रारम्भ होने वाली तिमाही के लिए विधिमान्य होगा।

(6) वार्षिक टंकण उस वित्तीय वर्ष जिसके लिये वह जारी किया गया है, विधिमान्य होगा।

स्पष्टीकरण–

(एक) उपकर की रसीद प्रतिदिन के लिए विधिमान्य होगी, जिसकी समयावधि की गणना प्रथम बैरियर पार करने से गिनी जायेगी अर्थात् इस अवधि में राज्य में एक से अधिक बार प्रवेश करने पर पुनः उपकर का भुगतान करना अपेक्षित नहीं होगा।

(दो) उपकर के भुगतान के उपरान्त यदि कोई मोटरयान का चालक या प्रभारी व्यक्ति एक दिन से अधिक अेवधि के लिये राज्य में ठहरता है तो उससे ठहरने की अवधि के आधार पर उपकर का भुगतान करना अपेक्षित नहीं होगा, परन्तु यदि वह राज्य से बाहर जाकर पुनः राज्य में प्रवेश करता है तो ऐसे वाहन को प्रत्येक प्रवेश पर उपकर का भुगतान करना होगा।"

धारा 11 का संशोधन **3.** मूल अधिनियम की धारा 11 में–

(क)–उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगीः–

"(3) मोटरयान का चालक या प्रभारी व्यक्ति, उत्तराखण्ड राज्य की सीमा में प्रवेश के समय भुगतान किये गये उपकर की रसीद को राज्य में ठहरने के दौरान वाहन में रखेगा और मांगे जाने पर संग्रहण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। "

(ख)–उपधारा (4) में शब्द "अनुसूची के स्तम्भ 3 के अधीन विहित दर" के स्थान पर शब्द "धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विहित दर" रख दिये जायेंगे।

परन्तु यदि धारा 4 के अधीन उपकर संग्रह करने का अधिकार पट्टे पर देने का राज्य सरकार निर्णय करती है, तो उपधारा (3) के प्राविधान लागू नहीं होंगे।

अनुसूची का निकाला जाना **4.** मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची निकाल दी जायेगी

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।

348/16

उददेश्य और कारणों का ज्ञापन

उत्तराखण्ड राज्य में अन्य प्रदेशों से आने वाले पर्यटकों एवं तीर्थ यात्रियों के लिये समुचित अवस्थापना सुविधायें विकसित करने के लिये आवश्यक संसाधन जोड़ने की आवश्यकता को देखते हुये राज्य में बाहर से आने वाले समस्त मोटर यानों पर उत्तराखण्ड परिवहन एवं नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012 द्वारा उपकर लगाया गया है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम अनुसूची में निर्धारित अधिनियम की व्यवस्थाओं को और अधिक स्पष्ट एवं सुसंगत बनाया जाना प्रस्तावित है।

2— प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

हरीश रावत,
मुख्यमंत्री

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 12 विधायी / 194—2016—100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।